उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या- 44/2016/आर-845/26-3-2016-5(रिट)/2016

लखनऊः दिनांकः 14 मार्च 2016

कार्यालय ज्ञाप

श्री नरेश चन्द्र पुत्र सूरज पाल निवासी मुडैली, ब्लाक कलां तहसील-जलालाबाद, जनपद-शाहजहांपुर द्वारा मण्डलीय अपीलीय फोरम, बरेली मण्डल, बरेली के आदेश संख्या-1514/एस.आर./अपील फोरम दिनांक-21.04.2015 के विरूद्ध राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-28.05.2015 प्रस्तुत की गयी। श्री नरेश चन्द्र की उक्त अपील के निस्तारण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-05.01.1996 में उल्लिखित प्राविधानानुसार प्रकरण की निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण में गठित 'सतर्कता प्रकोष्ठ' से जांच करायी गयी। निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के पत्र दिनांक-16.10.2015 द्वारा सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच आख्या दिनांक-15.10.2015 शासन को उपलब्ध करायी गयी।

2- प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक दिनांक-04.03.2016 को आहूत करते हुये शासन के नोटिस पत्र दिनांक-29.02.2016 द्वारा बैठक की सूचना अपीलार्थी श्री नरेश चन्द्र को दी गयी थी। श्री नरेशचन्द्र द्वारा सुनवाई की तिथि दिनांक-04.03.2016 को राज्य स्तरीय स्क्रूरटनी कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। समिति के समक्ष सतर्कता प्रकोष्ठ के जांच अधिकारी श्री प्रकाश अरविन्द तथा श्री लालता प्रसाद तिवारी, तहसीलदार जलालाबाद, शाहजहापुर भी अभिलेखों सहित उपस्थित हुये। राज्य स्तरीय स्क्रटनी कमेटी द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सुना गया।

3- संक्षेप में प्रकरण यह है कि श्री नरेश चन्द्र पुत्र सूरजपाल निवासी-ग्राम-मुडैली, जलालाबाद, शाहजहांपुर को तहसीलदार, जलालाबाद, शाहजहापुर से अन्य पिछड़े वर्ग की 'हलवाई' जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्या-2241030870, दिनांक 06.10.2010 निर्गत हुआ था, जिसके आधार पर वर्ष 2010 के ग्राम प्रधान के चुनाव में श्री नरेशचन्द्र आरक्षित अन्य पिछड़े वर्ग की सीट से प्रधान पद का चुनाव लड़ा गया था व विजयी हो गया थे। इसी गांव के श्री अरब सिंह पुत्र श्री दुलारे (पराजित प्रत्याशी) द्वारा शिकायत की गयी कि श्री नरेशचन्द्र का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। उक्त शिकायत पर तहसीलदार, जलालाबाद, शाहजहापुर ने श्री नरेशचन्द्र को नोटिस दिया कि क्यों न उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाय। उक्त नोटिस के विरूद्व श्री नरेशचन्द्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-5135/2011 योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2011 को आदेश पारित करते हुये तहसीलदार, जलालाबाद द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.11.2010 को स्थगित करते हुए यह आदेश पारित किये गये कि प्रकरण में शासनादेश दिनांक 05.01.1996 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाय।

4- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-29.01.2011 के क्रम में राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की पूर्व में दिनांक-29.08.2012 को बैठक सम्पन्न हुयी थी। राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की उक्त बैठक का आदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1805/26-3-2012, दिनांक-10.10.2012 द्वारा निर्गत किया गया। राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के उक्त आदेश में समिति द्वारा सम्यक्विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख/साक्ष्य जनपद/तहसील स्तर पर उपलब्ध होते है। अतएव प्रकरण को जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी को Remand किया जाय ताकि वह गुण-दोष के आधार पर स्वमुखरित आदेश पारित करें।

5- राज्य स्तरीय स्क्रूरटनी कमेटी के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, शाहजहापुर की बैठक दिनांक-01.02.2013 को सम्पन्न हुयी। जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा अपने आदेश दिनांक-23.02.2013 में अपीलार्थी श्री नरेश चन्द्र एवं शिकायतकर्ता श्री अरब सिंह का पक्ष सुनते हुये अभिलेखीय साक्ष्यों पर विचार कर अपीलार्थी श्री नरेश चन्द्र को अन्य पिछड़े वर्ग की 'हलवाई' जाति का सदस्य नही पाया गया बल्कि उन्हें 'गुप्ता' सामान्य वर्ग का पाया गया।

6- जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, शाहजहापुर के उक्त निर्णय दिनांक-23.02.2013 के विरूद्ध श्री नरेश चन्द्र द्वारा आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम में अपील प्रस्तुत की गयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलकर्ता द्वारा मुख्यतः यह आधार लिया गया कि अपीलकर्ता व्यवसाय से नही बल्कि जाति से भी 'हलवाई' हैं तथा उसके पूर्वज एवं रिश्तेदार भी अभिलेखों में 'हलवाई' दर्ज हैं। अपीलकर्ता के जाति के लोग सामान्यतः उपनाम में 'हलवाई' का प्रयोग नही करते वरन गुप्ता या वैश्य लगाते हैं। मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा अपने विवेचन में यह पाया कि अपीलकर्ता श्री नरेश चन्द्र द्वारा वर्ष 2001 में प्राथमिक विद्यालय, भुड़ैली से टी0सी0 प्राप्त की गयी थी जिसमें अपीलकर्ता की जाति 'हलवाई' अंकित है जबकि शिकायतकर्ता श्री अरब सिंह द्वारा शिकायत के साथ जो टी0सी0 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी वह वर्ष 2010 की है और उसमें नरेश चन्द्र की जाति हिन्दू वैश्य अंकित है, जिससे स्कूल अभिलेखों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हेरा-फेरी किये जाने की पुष्टि हुयी। उक्त के अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित परिवार की रजिस्टर की नकल में श्री नरेश चन्द्र की जाति 'गुप्ता' सामान्य पाया गया। अतएव मण्डलीय अपीलीय फोरम ने अपने आदेश दिनांक-21.04.2015 द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी गयी।

7- मण्डलीय अपीलीय फोरम, बरेली मण्डल, बरेली के उक्त निर्णय दिनांक-21.04.2015 के विरूद्ध राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-28.05.2015 प्रस्तुत की गयी। प्रकरण की शासन स्तर से 'सतर्कता प्रकोष्ठ' से जांच करायी गयी। सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा अपीलकर्ता श्री नरेशचन्द्र का अभिकथन एवं बयान लिया गया एवं अभिलेखों/साक्ष्यों का निम्नवत् विवेचन किया गयाः-

<u>श्री नरेशचन्द्र द्वारा सतर्कता प्रकोष्ठ/जांच अधिकारी को दिया गया बयानः</u>-

ग्राम-मुडेली, थाना-कलान, तहसील-जलालाबाद, परगना-जलालाबाद जिला-शाहजहांपुर उम्र 42 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मैं वर्तमान में अपने मूल निवास उपरोक्त व कस्बा में मो0 बुद्वनगर में अपने सगे भाई, श्री सुरेशचन्द्र के मकान में उसके साथ रहता हूँ जोकि मोबाईल की दुकान में धन्धा करता है और मैं इस समय प्रधानी पद से हटने के बाद से बेरोजगार हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी श्रीमती सन्नो देवी है तथा मेरी कोई सन्तान नहीं है। मेरी पत्नी का मायका कस्बा जलालाबाद है। मेरे ससुर जी का नाम श्री कृष्ण है जो पेठे का ठेला लगाते हैं। मेरी साली श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी हरनन्दन निवासी-जलालाबाद, शाहजहांपुर हैं, इनके पति ट्रक चलाते हैं तथा हरनन्दन के बड़े भाई श्री हरिओम हलवाई गिरी का काम शादी-ब्याह में करते हैं, लेकिन इनके पास भी जाति प्रमाण पत्र नहीं है। मेरे ननिहाल, ग्राम-हजरतपुर, थाना-हजरतपुर जिला बदायूँ है मेरे चार ममेरे भाई हैं, जिनमें से बड़े भाई पप्पू की मृत्यु हो चुकी है तथा छोटे विजय और विष्नु हैं जोकि हलवाई जाति के ही हैं तथा गांव में ही अलग-अलग मिठाई की दुकान बस-अड्डे पर खोले हैं और सबसे छोटे हीरालाल भी वहीं गांव में समोसे की दुकान करते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी व चुनाव आदि की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे सगे चाचा स्व0 श्री महेश चन्द्र जोकि हलवाई जाति के ही थे, ने गांव लगभग 03 साल पहले छोड़ दिया था तथा इनके दो लड़के मोतीलाल और राजू अब ग्राम घटियाघाट, थाना-घटियाघाट जिला-फर्रूखाबाद में बस गये हैं तथा वहीं पर दोनों भाई गंगा जी के किनारे मिठाई की दुकान चलाते हैं। इसके समर्थन में परिवार रजिस्टर की नकल व खसरा खतौनी है। वर्ष 2010 में ग्राम-प्रधानी के चुनाव में गांव वालों के कहने पर मैने अपने गांव मुडैली, ग्राम-पंचायत, मुन्नीखेडा, जोकि पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित थी, चुनाव लड़ा और 16 वोटों से जीत गया। द्वितीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थान पर श्री कृपाशंकर थे, जोकि हलवाई जाति के थे, ये खेती करते हैं तथा गांव में ही व मकान में कपड़े की दुकान करते हैं तथा तीसरे नम्बर पे श्री अरब सिंह पुत्र श्री दुलार जोकि लोनिया जाति के थे। मैने अपनी पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र संख्या-22410308370 तहसीलदार जलालाबाद से दिनांक 06.10.2010 को बनवाया था, जिसकी स्व-प्रमाणित प्रति पे्रषित कर रहा हूँ। मेरे साथ ही मेरे गांव के ही श्री कृपाशंकर पुत्र श्री माखन लाल ने अपना हलवाई जाति का प्रमाण पत्र संख्या-22410308364, दिनांक-06.10.2010 को तहसीलदार जलालाबाद, शाहजहांपुर से बनवाया था। मेरे चुनाव जीतने के बाद मेरे गांव के ही विरोधियों ने मेरे खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने का आरोप श्री अरब सिंह जोकि हारे हुये नम्बर- के प्रत्याशी थे, ने एस0डी0एम0 जलालाबाद को किया, उस पर एस0डी0एम0 महोदय ने नायब तहसीलदार श्री ब्रम्हानन्द तहसील-जलालाबाद ने अपनी आख्या दी, जिसमें सारे आरोप गलत पाये गये। इसकी स्व-प्रमाणित प्रति प्रेषित है। ये जांच-आख्या दिनांक-15.02.2011 को प्रेषित की गयी थी। इसके बाद मेरे विरोधी श्री अरब सिंह ने इस प्रकरण की शिकायत उ0प्र0 शासन के समाज कल्याण विभाग में की, जिस पर मैने मा0 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या-5135/2011 दायर की, जिसके आधार पर इस प्रकरण की जांच का आदेश मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक-29.01.2011 को तहसीलदार जलालाबाद का कारण बताओ नोटिस को स्थगित करते हुए शासनादेश दिनांक 15.01.1996 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उपरोक्त आदेश व श्री अरब सिंह के शिकायती पत्र के आधार पर शासन द्वारा जांच 'सतर्कता प्रकोष्ठ' पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, इन्दिरा भवन को दिनांक-18.05.2011 को सुपुर्द हुयी, जिसे श्री पी0सी0 तिवारी, उपनिरीक्षक ने दिनांक 08.09.2011 को पूर्ण कर मेरे जाति प्रमाण पत्र को गलत साबित करते हुये सामान्य जाति का होना बताया। इस जांच रिपोर्ट की सुनवाई राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, उत्तर प्रदेश शासन में हुयी जिसमें यह आदेशित किया गया कि इसकी जांच अब जिला स्तरीय कमेटी, शाहजहांपुर द्वारा की जायेगी। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा मुझे नोटिस देने पर मैं पुनः मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-1277/2013 दिनांक 11.01.2013 को दायर की जिसमें पुनः जांच के आदेश दिये गये जिसकी प्रति प्रेषित है, परन्तु जिला स्तरीय कमेटी ने बगैर मेरी बातों को सुने मेरा जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया, जिस पर मैं अपील हेतु मण्डलीय स्तरीय फोरम बरेली, आयुक्त महोदय के पास गया। यहां पर भी इस कमेटी ने इकतरफा जांच कर पुनः मेरे प्रमाण पत्र को खारिज करते हुये मुझे सामान्य जाति का मान लिया। इसी बीच दिनांक 30.12.2013 को तहसीलदार महोदय श्री नागेन्द्र देव गंगवार ने मेरे विरूद्व थाना-कलान शाहजहांपुर में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मु0अ0सं0-329/13धारा419/420/467/648/471आईपीसी बनाम 1.लेखपाल-महेश्वर प्रसाद 2.राधेश्याम- राजस्व- निरीक्षक व 3- ब्रम्हानन्द- तत्कालीन तहसीलदार जलालाबाद व मेरे विरूद्व कायम करा दिया जिसमें करीब 3.महीने जेल में रहा औरे मेरे खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र केवल मेरे खिलाफ दाखिल हुआ जोकि न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसके बाद मैने पुनः शासन में अपील की परन्तु इसी दौरान जिलाधिकारी, शाहजहांपुर महोदय ने एस0डी0एस0 की रिपोर्ट के आधार पर मेरा प्रधानी पद शून्य घोषित करते हुये तीसरे नम्बर के श्री अरब सिंह को प्रधान घोषित कर दिया। दिनांक 01.09.2014 से श्री अरब सिंह प्रधान हैं। मेने उसको शून्य घोषित करने के विरूद्व मैने मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका की थी, जिसमें मुझे स्टे मिला था। मेरी रिट नम्बर 22735 दिनांक 24.04.2013 है। इसके बावजूद मेरे साथ अन्याय हुआ और मेरे प्रमाण पत्र व तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये मेरा प्रधानी पद गैर कानूनी तरीके से 'शून्य' घोषित कर दिया। मेरे सगे ताऊ स्व0 श्री रामेश्वर दयाल पुत्र स्व0 श्री मिश्री लाल का परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न है, जिसमें मेरे पिता श्री सूरजपाल व मेरी माता श्रीमती मुन्नी देवी का नाम व जाति हलवाई अंकित है। मेरे छोटे भाई श्री सुरेश पाल की टी0सी0 प्रमाण पत्र में उसकी जाति हलवाई अंकित है, जिसे प्रेषित किया जा रहा है। मैने जो पाया वही लिखा गया, उसे पढ़कर मैं अपने हस्ताक्षर बनाता हूँ तथा अपने बयानों के समर्थन में स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां एवं अपनी 'हलवाई' जाति के समर्थन में ग्रामवासियों के शपथ-पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

(i)-बहमोतार प्राथमिक विद्यालय, स्वरूपपुर, बदायूं से निर्गत अपने सगे भाई सुरेश चन्द्र पुत्र श्री सूरज पाल ग्राम मुडौली, जिला-शाहजहांपुर जन्म तिथि 05.07.81, अन्तिम शिक्षा जिसमें पढ़ा है, गृह शिक्षा अंकित है जिसका एस0आर0 नं0 395 द्वितीय प्रति जिसमें जाति 'हलवाई' अंकित है, प्रस्तुत किया।

(ii)-याची नरेश चन्द्र द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र स्वामी विश्राम दास त्यागी एवं रूस्तम सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुडैली, शाहजहांपुर को प्रस्तुत किया जिसमें एस0आर0 नं0236 पर राम नरेश जाति 'हलवाई' हिन्दू (वैश्य) पुत्र श्री सूरज पाल ग्राम व पोस्ट मुडैली जनपद शाहजहांपुर जन्म तिथि 02.07.1972 अंकित संस्था प्राईमरी विद्यालय मुडैली, शाहजहांपुर निर्गत होने का दिनांक 30.06.1986 अंकित है, प्रस्तुत किया।

(iii)-एक अदद छायाप्रति परिवार का रजिस्टर (नकल) मुन्नीखेडा, न्याय पंचायत मुन्नीखेडा, विकास खण्ड कलान, तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहापुर की प्रमाणित मकान नं0 307 परिवार मुखिया रामेश्वर दयाल पुत्र मिश्री लाल जाति के कालम नं0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7 में 'हलवाई' अंकित है, जिसमें क्रमांक 3 पर सूरज पाल पुत्र मिश्री लाल अंकित है, जिसको याची द्वारा अपना पिता बताया गया। पट्टीदारी के संबंध में खतौनी की छायाप्रति भी संलग्न की गयी।

(iv)-दिनांक 06.10.2010 को तहसीलदार जलालाबाद, शाहजहांपुर द्वारा क्रम संख्या-22410308370 पर नरेश चन्द्र पुत्र सूरज पाल निवासी ग्राम मुडैली, तहसील-जलालाबाद की 'हलवाई' पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया दाखिल किया।

(v)-एक अदद छायाप्रति जांच आख्या जोकि नायब तहसीलदार श्री ब्रम्हानन्द द्वारा जांचोपरान्त दिनांक 15.02.2011 को तहसीलदार को प्रस्तुत की गयी जिसे तद्दिनांक को ही उपजिलाधिकारी को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गयी, दाखिल किया।

(vi)याची द्वारा एक अदद जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 22410308364 दिनांक 06.10.10 श्री कृपाशंकर पुत्र श्री माखन लाल निवासी मुन्नीखेडा की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमें 'हलवाई' जाति दर्शायी गयी है, कृपाशंकर को अपना चुनाव में प्रतिद्वन्दी बताया।

(vii)-याची ने अपने विरूद्व अपनी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण में मु0अ0सं0 329/13 धारा 419/420/467/468/471आई0पी0सी0 थाना-कलान, शाहजहांपुर विरूद्व 1.नरेश चन्द्र पुत्र सूरज पाल 2.महेश्वर प्रसाद तत्कालीन लेखपाल 3.राधेश्याम तत्तकालीन राजस्व निरीक्षक 4.ब्रम्हानन्द तत्कालीन नायब तहसीलदार जलालाबाद दिनांक-30.12.2013 को पंजीकृत होने के संबंध में एफ0आई0आर0 व कुछ केस डायरी की छायाप्रतियां प्रस्तुत की, जो संलग्न हैं और अपने लिखित बयान में अंकित कराया कि उक्त अपराध में ही याचीधारी व 3 महीने जेल में रहा है। आरोप पत्र के साथ याची के खिलाफ दायर हुआ जोकि न्यायालय में विचाराधीन है।

(viii)-याची द्वारा अपनी 'हलवाई' जाति के समर्थन में ग्राम मुडैली, ग्राम-पंचायत, मुन्नी खेडा, ब्लाक-कलान, शाहजहंपुर के निवासियों के 33 अदद शपथ पत्र प्रस्तुत किये जो दो पृष्ठों की सूची के साथ क्रमबद्व रूप से संलग्न किये जाते हैं।

8- अपीलार्थी द्वारा अपने कथन में यह भी अंकित कराया कि निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण के 'सतर्कता-प्रकोष्ठ' में नियुक्त श्री पी0सी0 तिवारी, उप-निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.09.2011 को उसकी 'हलवाई' जाति के विरूद्व जांच की गयी थी। जांच आख्या दिनांक 08.09.2013 में उसके 'हलवाई' जाति प्रमाण पत्र को गलत साबित करते हुये 'सामान्य जाति' का होना बताया। चूंकि याची द्वारा पूर्व में सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जाँच किये जाने का संज्ञानित किया गया अतएव जाँच अधिकारी द्वारा सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में की गयी जांच आख्या का अवलोकन किया गया और पाया गया कि पूर्व जांच अधिकारी श्री पी0सी0 तिवारी द्वारा श्री ब्रम्हानन्द, नायब तहसीलदार,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जलालाबाद, शाहजहांपुर का कथन दिनांक 13.07.2011, श्री मधूसूदन आयी तत्कालीन, तहसीलदार जलालाबाद, शाहजहांपुर के बयान दिनांक 17.08.2011 एवं श्री अरविन्द कुमार टंकण लिपिक (तत्कालीन) कृते तहसीलदार जलालाबाद के बयान दिनांक 24.05.2011 को भी अंकित किया गया है। साथ ही श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, तत्कालीन लेखपाल, तहसील जलालाबाद, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 29.11.2010 को एस0डी0एम0,जलालाबाद के समक्ष लिये बयान की नकल, बयान प्रधानाचार्य, श्री प्रदीप सिंह, स्वामी विश्रामदास त्यागी एवं रूस्तम सिंह, जूनियर हाईस्कूल, मुडैली, तहसील जलालाबाद, जिला-शाहजहांपुर के द्वारा दिनांक 14.07.2011 को अंकित कराया गया कथन, बयान श्री सूरज पाल, प्रधानाध्यापक ब्रम्होत्तर प्राथमिक विद्यालय, स्वरूपपुर, बदायूं दिनांक 02.09.2011, बयान श्री ओमवीर सिंह, शिक्षा मित्र प्रा0 विद्यालय, मुडैली, मय प्रमाणित चार अदद छायाप्रतियां मुडैली, एस0 आर0 रजिस्टर दिनांक 14.07.2011, बयान शिकायतकर्ता श्री अरब सिंह दिनांक 24.05.2011 व 05.08.2011, याची नरेश चन्द्र उर्फ राम नरेश के बयान व श्री किशन के भी बयान लेकर समस्त औपचारिकताये पूर्ण करते हुये जांच आख्या पूर्ण में प्रेषित की गयी थी।

<u>सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा श्री नरेश चन्द्र के विरूद्व निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्यों को संज्ञानित किया गयाः-</u>

(1)-नरेश चन्द्र के परिवार रजिस्टर की प्रमाणित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक पाण्डे से मूल रूप से की गयी परिवार रजिस्टर की नकल जिसके कालम नं0-7 में जाति 'गुप्ता' पूर्ण रूप से स्पष्ट है।

(2)-तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल, श्री चन्द्रशेखर प्रसाद द्वारा एस0डी0एम0 जलालाबाद के समक्ष दर्ज कराये गये बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें राम नरेश व नरेश एक ही व्यक्ति हैं जिनके पिता का नाम सूरज पाल है और सामान्य जाति/वैश्य हैं।

(3)-याची के सगे भाई श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री सूरज पाल के द्वारा तहसीलदार जलालाबाद को अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया अनुबन्ध पत्र व पात्रता प्रमाण पत्र की छायाप्रति जिस पर हलका लेखपाल द्वारा वैश्य जाति के सामान्य जाति की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2010 को अंकित की गयी है।

(4)-याची नरेश चन्द्र व राम नरेश व उसका सगा भाई सुरेश पाल पुत्र सूरज पाल तथा दो सगी बहने शारदा देवी व विमला देवी पुत्रीगण सूरज पाल जो प्राथमिक पाठशाला, मुडैली में पढ़ी हैं, के प्रवेश रजिस्टर में जाति के कालम में स्पष्ट रूप से 'वैश्य' अंकित होना पाया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)-याची राम नरेश उर्फ नरेश चन्द्र पुत्र सूरज पाल द्वारा कक्षा-8, विश्राम दास त्यागी रूस्तम सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय से वापस होना बताया। विद्यालय का एस0आर0 रजिस्टर देखने से जाति के कालम में हिन्दू 'वैश्य' होना स्पष्ट रूप से अंकित है कहीं भी 'हलवाई' शब्द अंकित नहीं है।

(6)-याची नरेश चन्द्र के सगे भाई सुरेश चन्द्र को प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ब्रम्होत्तर प्राथमिक विद्यालय स्वरूपपुर जिला-बदायूं में 'हलवाई' जाति के कालम में 'हिन्दू हलवाई' होना तथा प्रवेश रजिस्टर की क्रम संख्या-375 का होना छायाप्रति से अवलोकित होता है जबकि प्रधानाध्यापक उपरोक्त विद्यालय श्री सूरजपाल शाक्य द्वारा दिनांक 02.09.2011 में अपने कथन में अंकित कराया कि सुरेश चन्द्र कभी भी उसके विद्यालय में छात्र नहीं रहा है।

9- सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जनपद एवं मण्डल स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय, अपीलार्थी के बयान एवं उपलब्ध कराये गये दस्तावेज/अभिलेखीय साक्ष्य को संज्ञान में रखते हुये प्रकरण कि की गयी गहन जांच में पाया गया कि याची द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य अपनी 'हलवाई' पिछड़ी जाति के समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं। उन सभी अभिलेखीय साक्ष्यों पर गहनतापूर्वक पूर्व में ही सतर्कता प्रकोष्ठ के जांच अधिकारी द्वारा जांच की गयी जिसमें स्पष्ट रूप से मौखिक व अभिलेखीय व स्थलीय साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि श्री नरेशचन्द्र व श्री रामनरेश पुत्र श्री सूरजपाल हिन्दू सामान्य 'वैश्य' जाति के सदस्य हैं। पूर्व में जांच अधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में अंकित किया है कि श्री ब्रम्हानन्द, नायब तहसीलदार जलालाबाद व श्री महेश्वर प्रसाद लेखपाल(सभी तत्कालीन) भी जानबूझकर श्री नरेशचन्द्र को लाभ पहुंचाने हेतु आपराधिक कृत्य के उत्तरदायी हैं। तहसीलदार, जलालाबाद ने प्रकरण में मु0अ0सं0-329/13 धारा419,420,467,468,471 आई.पी.सी. बनाम श्री नरेशचन्द्र आदि थाना-कलान शाहजहांपुर में दिनांक 30.12.2013 को दर्ज कराया गया जिसमें अपीलार्थी श्री नरेशचन्द्र को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व लम्बी अवधि तक जेल में निरूद्ध किया गया। प्रकरण में श्री नरेशचन्द्र के विरूद्व वर्तमान में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना से भी याची श्री नरेशचन्द्र के द्वारा असत्य व मिथ्यापूर्ण, कूटरचित अभिलेखों/दस्तावेजों को प्रस्तुत कर फर्जी 'हलवाई' पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पाया गया। इस प्रकार से पूर्व जांच में संकलित किये गये तथ्य व अभिलेखीय साक्ष्य स्वतः पूर्णरूपेण विश्वसनीय व प्रमाणित होते है। अतएव सतर्कता प्रकोष्ठ कि की गयी विस्तृत जांच पड़ताल के बाद यह प्रमाणित हुआ कि अपीलार्थी श्री नरेशचन्द्र पुत्र श्री सूरज पाल निवासी-ग्राम मुडैली, तहसील-जलालाबाद व थाना-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कलान, जिला-शाहजहांपुर सामान्य 'वैश्य' जाति के सदस्य हैं। राज्य स्तरीय स्कुरटनी कमेटी की उक्त बैठक दिनांक-04.03.2015 में उपस्थित तहसीलदार, जहानाबाद द्वारा भी यह पुष्टि की गयी कि श्री नरेशचन्द्र 'गुप्ता' सामान्य वर्ग के सदस्य है।

अतएव जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी एवं मण्डल स्तरीय स्कूरटनी कमेटी के निर्णय, सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच आख्या, अपीलार्थी द्वारा रखे गये पक्ष पर सम्यक्विचारोपरान्त राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि श्री नरेशचन्द्र पुत्र श्री सूरजपाल निवासी-ग्राम मुडैली, तहसील-जलालाबाद व थाना-कलान, जिला-शाहजहांपुर सामान्य 'वैश्य' जाति के सदस्य हैं। तदनुसार अपीलार्थी की उक्त अपील दिनांक-28.05.2012 को समिति एतद्द्वारा निस्तारित करती है।

विकास शर्मा संयुक्त निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ	केदारनाथ निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0शासन

<u>पृ0संख्या-44/2016/845(1)/26-3-2016 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली को उनके उक्त निर्णय दिनांक- 21.04.2015 के सन्दर्भ में।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, शाहजहापुर को उनके निर्णय दिनांक-23.02.2013 के सन्दर्भ में।
3. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4. निदेशक,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
5. श्री नरेश चन्द्र पुत्र सूरज पाल निवासी मुडैली, ब्लाक कलां तहसील-जलालाबाद,जनपद-शाहजहांपुर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in